

(भारत के राजपत्र के भाग I, खण्ड 2 में प्रकाशनार्थ)

सं. 14012/31/2011-अ.भा.से.-III

भारत सरकार
कर्मिक, लोक शिवायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 अप्रैल, 2014

अधिसूचना

राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवर्तन) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुश्री मीमिता बसु, भारतीय प्रशासनिक सेवा की 2007 बैच की पश्चिम बंगाल राज्य संवर्ग की रादस्य को दिनांक 18/08/2009 से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं।

मिमीता बसु
(मिमीता बसु)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
फरीदाबाद (हरियाणा)